मि. सं. रा. पि. व. आ./06/12/585/2021-CP

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसंधान अनुभाग

सुनवाई के कार्यवृत

डॉ. ब्रह्मानंद द्वारा प्राप्त शिकायत में 5 वर्षीय कु. ख़ुशी कुमारी के अपहरण के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष, डॉ. भगवान लाल साहनी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 में दिनाँक 04.03.2021 समय 03:00 बजे सुनवाई नियत की।

सुनवाई मे उपस्थित अधिकारी

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष
2. डॉ. सुधा यादव, माननीय सदस्य
3. श्री दिनेश कुमार, निजी सचिव मा. अध्यक्ष
4. डॉ. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी

आयोग के समक्ष उपस्थित अधिकारीगण :-

1. श्री जयंत कांत, एस.एस. पी., मुजफ्फरपुर, बिहार

उपस्थित शिकायतकर्ता :-

1. डॉ. ब्रह्मानंद

सुनवाई के दौरान हुए चर्चा का विस्तृत विवरण;

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष: मुजफ्फरपुर में लगातार अपराध का स्तर बढ़ता जा रहा है। पुलिस विभाग की ओर से उपस्तिथ अधिकारी बताए की आपने कु. ख़ुशी कुमारी के अपहरण के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री जयंत कांत, एस.एस. पी., मुजफ्फरपुर, बिहार: 16 फरवरी को यह घटना घटित हुई थी एवं 17 फरवरी को एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी। इसके बाद सभी परिवार के सदस्यों से बातचीत करने के बाद जांच पड़ताल प्रारंभ की गई एवं आस पास के प्राइवेट सी. सी. टी. वी. फुटेज की जांच की गई जिसमे यह पाया गया कि एक बच्ची निकटतम घर में एक महिला के साथ 20 मिनट्स के लिए अंदर जाती है, एवं उस घर के सभी सदस्य उसी रात में गायब हो जाते हैं। इसी के आधार पर कार्यवाही जारी थी परंतु

कार्यवाही होने के 10 दिन बाद गुमशुदा के परिवार वालों ने अपने बयान बदल दिए एवं उन्होंने कहा कि जो बच्ची उस महिला के साथ निकटतम घर में जा रही है वह मेरी बच्ची नहीं है। जिसकी वजह से सारी खोजबीन की दिशा ही परिवर्तित हो गई और अब हमें सब कुछ प्रारंभ से प्रारंभ करना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं मैं पुनः एक बार परिवार वालों से भी मिल लूंगा और यह सुनिश्चित करूँगा की कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के दबाव में आकर उन्होंने अपने बयान बदल दिए हो।

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष: कभी कभी ऐसा होता है की जिस पर संदेह नहीं होता है वही अपराधी निकलता है।

श्री जयंत कांत, एस.एस. पी., मुजफ्फरपुर, बिहार: सर, मैंने स्वयं वहां पर जाकर आसपास में पूंछताछ एवं जांच पड़ताल की है। सारे एंगल से जांच की जा रही है परंतु गुमशुदा बच्ची के परिवार वालों ने अपने बयान बदल लेने के कारण अब सारी जांच पड़ताल की दिशा ही परिवर्तित हो गई है एवं अब नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ रही है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहें है।

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष: इसके अतिरिक्त आयोग आपसे निम्न लिखित जानकारी पुलिस विभाग से चाहता है ;

1. पिछले पांच वर्षों में विशेष न्यायालयों सहित पुलिस और न्यायालयों द्वारा OBC के विरुद्ध संज्ञेय और जघन्य अपराधों के पंजीकृत मामलों और उनके निपटान के विवरण।
2. ओबीसी पर संज्ञेय और जघन्य अपराधों के मामलों से निपटने के लिए विशेष पुलिस स्टेशनों सहित राज्य, जिला और तालुका स्तर पर स्थापित पुलिस विभाग की मशीनरी का विवरण।
3. ओबीसी पर संज्ञेय और जघन्य अपराध के मामलों से निपटने में पुलिस कर्मियों के संवेदीकरण की व्यवस्थाके लिए आयोजित प्रशिक्षण / सेमिनार / कार्यशालाओं का विवरण दें।

सुनवाई के पश्चात् डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष ने यह अपेक्षा की है कि पुलिस द्वारा अतिशीघ्र ही गुमशुदा बच्ची को ढूंढ लिया.जायेगा एवं आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी का ब्यौरा आयोग द्वारा प्रदत्त की गई प्रश्नावली के अनुसार 10 दिवस के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

दिनाँक:

स्थान: नई दिल्ली

(डॉ. भगवान लाल साहनी)
माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग